संख्या-1889/चौवालिस-1-88-46/85

प्रेषक,

श्री आर0 रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से संबंधित
सचिव/विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 1988

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त के उपरान्त सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3417/चौवालिस-1/1986, दिनांक 5 फरवरी, 1986 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर यह आदेश निर्गत किये जाते रहें हैं कि सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में सेवकों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् सेवा-विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में केवल जनहित को छोड़कर अन्य मामलों में किसी भी दशा में स्वीकार न की जाय। तथापि शासन की जानकारी में यह बात पुनः आई है कि अभी भी इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- इसी प्रसंग में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-1/2/1973-कार्मिक-2, दिनांक 23 जुलाई, 1988 की प्रति संलग्न करते हुए यह निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के उपरान्त निगमों में पुनर्नियुक्ति अथवा सेवा विस्तार के प्रत्येक मामले में निर्णय लेने से पूर्व उक्त शासनादेश में उल्लिखित सिद्धान्तों को दृष्टिगत करते हुए अपना प्रस्ताव कार्मिक विभाग को परामर्श के लिये भेजने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

3- इसी प्रकार राज्य के सार्वजनिक उद्यमों की सेवाओं के सेवा-निवृत्त सेवकों को पुनर्नियुक्त अथवा सेवा-विस्तार के ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें किसी विशेष परिस्थितिवश अथवा जनहित में सार्वजनिक उद्यम के सेवक को पुनर्नियुक्ति किया जाना अपरिहार्य हो, उपर्युक्त शासनादेश में उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर परीक्षण करते हुए अपना प्रस्ताव सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को भेजने का कष्ट करें। यह ध्यान रहे कि पुनर्नियुक्ति अथवा सेवा-विस्तार का प्रस्ताव तभी विचारणीय होगा जबकि किसी विशेष परिस्थिति के कारण उक्त सेवक की पुनर्नियुक्ति न होने से जनहित की अपेक्षा होने की संभावना दिखाई दें। सामान्यतया सेवा विस्तार अथवा पुनर्नियुक्ति अधिवर्षता आयु के पश्चात् नहीं की जायेगी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जायेगा।

संलग्नक-उपर्युक्तानुसार

भवदीय,
आर0 रमणी,
सचिव।

संख्या-।889 (।)/चौवालिस-।-88-46/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(।) राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/नोयडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(2) सार्वजनिक निगमों से संबंधित सचिवालय के प्रशासकीय अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2 ।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।

संख्या-।889 (2)/चौवालिस-।-88-46/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री सिद्धार्थ बेहुरा, विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को सम्बोधित उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-।/2/।973-कार्मिक-2, दिनांक 24 मई, ।988 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव।